निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 641) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–13/2012/1063––श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–3, दरखा, प्रतिनियुक्त बाढ़ एवं सिंचाई कोषांग, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के बेतार संवाद एन0 आर0 एन0 01 दिनांक 19.08.2012 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर आदेश की अवहेलना करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, अपने कार्यालय से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने आदि के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1329 दिनांक 30.11.2012 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 338 दिनांक 13.03.2013 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

(i) विभागीय पत्रांक 619 दिनांक 06.02.2012 द्वारा श्री कुमार को सिंचाई प्रमंडल, बौंसी से स्थानान्तरित कर सिंचाई प्रमंडल, दरखा, शिविर– पकड़ीबरावॉ के अधीन सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–3, दरखा में पदस्थापित किया गया। सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–3, दरखा में योगदान करने के उपरान्त इनके द्वारा कार्य में अभिरूचि लेने के बजाय इनके पत्रांक– शून्य दिनांक 10.07.2012 एवं 06.08.2012 द्वारा सिंचाई प्रमंडल, दरखा के उपयोगिता पर ही प्रश्न उठाया जाने लगा एवं अनावश्यक रूप से कर्मचारी संसाधन की मॉग किया जाने लगा।

(ii) वर्ष 2012 के बाढ़ अवधि में बाढ़ एवं सिंचाई कोषांग के संचालन हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय आदेश (पत्रांक 2787 दिनांक 09.08.2012) द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में किया गया जिसके आलोक में सिंचाई प्रमंडल, दरखा शिविर– पकड़ीबरावॉ से विरमित होकर इनके द्वारा दिनांक 18.08.2012 को प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया परन्तु सिंचाई कोषांग के कार्यों में अभिरूचि नहीं लेकर इनके द्वारा पत्रांक– शून्य दिनांक 21.08.2012 एवं 23.08.2012 द्वारा अनावश्यक पत्राचार किया जाता रहा। इनके द्वारा अनावश्यक पत्राचार कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 2939 दिनांक 27.08.2012 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण किया गया एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 3091 दिनांक 05.09.2012 द्वारा इनके स्पष्टीकरण के उत्तर दिनांक 31.08.2012 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए इनके स्पष्टीकरण को अमान्य करने का मंतव्य दिया गया। श्री जर्नादन मांझी, सदस्य, बिहार विधान सभा, अमरपुर

(बॉका) के पत्रांक– शून्य दिनांक 30.12.2011 द्वारा भी इनके विरूद्ध अपने कार्य में अभिरूचि नहीं लेकर दूसरे विभाग के कार्यों में ज्यादा अभिरूचि लेने का आरोप लगाया गया। इस प्रकार ये अनुशासनहीनता, अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

(iii) प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पदस्थान काल में इनके नाम पर अस्थायी अग्रिम रूपये 3,19,494.15/– (तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ चौरानवे रूपयें पन्द्रह पैसे) तथा मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम रूपये 9,21,408/– (नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये) लम्बित हैं साथ ही सरकारी राजस्व की राशि रूपये 8,592/– (आठ हजार पॉच सौ बेरान्वे रूपये) को भी इनके द्वारा सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है जिसके लिए ये प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए जॉच प्रतिवेदन से निम्नांकित सहमति/असहमति के बिन्दुओं को अंकित कर श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन निलंबित सहायक अभियंता से विभागीय पत्रांक 1418 दिनांक 27.11.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः–

(i) विभागीय पत्रांक 1207 दिनांक 30.09.2013 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पत्रांक 1066 दिनांक 23.10.2013 द्वारा विविध लोक निर्माण में रखी गयी राशि मात्र 9,21,408/– (नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये) के अबतक समायोजन नहीं होने का उल्लेख है जिसके लिए आरोपी (श्री कुमार) के विरूद्ध संचालित विभागीय के मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में भी लेखा संहिता के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन नहीं होने की हद तक आरोपी (श्री कुमार) के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है।

(ii) आरोप संख्या–2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन पूर्णतः भ्रामक है। आरोपी (श्री कुमार) के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 के संबंध में जो भी तथ्य उपलब्ध है उससे उक्त आरोप आरोपी (श्री कुमार) के विरूद्ध प्रमाणित होता है। आई0 बी0 में कमरा नहीं मिलने पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित होना मान्य नहीं हो सकता है।

3. विभागीय पत्रांक 1418 दिनांक 27.11.2013 के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन निलंबित सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर दिनांक 02.12.2013 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध इनके द्वारा सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–3, दरखा में योगदान करने के उपरान्त कार्य में अभिरूचि लेने के बजाय सिंचाई प्रमंडल, दरखा के उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह उठाने तथा आई0 बी0 में जगह नहीं मिलने के कारण कार्य में शिथिलता बरते जाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन निलंबित सहायक अभियंता को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 549 दिनांक 13.05.2014 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गयाः–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

(ii) निलंबन अवधि के लिए देय पावनाओं का निर्धारण अलग से निर्णय लेकर किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना के कंडिका (ii) के आलोक में विभागीय पत्रांक 643 दिनांक 28.05.2014 द्वारा श्री कुमार को निलंबन अवधि के वेतन अनुमान्यता के संबंध में नोटिस दिया गया।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या 549 दिनांक 13.05.2014 द्वारा संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 22.05.2014 विभाग में समर्पित किया गया जिसमें श्री कुमार द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिया गया हैः–

(i) आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं है।

(ii) बिहार सी0 सी0 ए0 रूल 2005 के नियम 17 (4) के तहत आरोप पत्र का जवाब देने हेतु इनके पत्रांक– शून्य दिनांक 16.04.2013 द्वारा आरोप से संबंधित साक्ष्य की मॉग की गयी जो इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iii) आरोप पत्र न तो सही प्रारूप में है और न ही साक्ष्य पर आधारित है।

(iv) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) इनके द्वितीय कारण पृच्छा की गलत समीक्षा की गयी।

5. श्री कुमार, सहायक अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी में उठाये गये उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में कही गयी बातें सत्य नहीं है। इनको निलंबित कर आदेश की अवहेलना करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं कार्यालय से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, जो सहायक अभियंता के अनुशासनिक प्राधिकार हैं, का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में नया तथ्य नहीं देकर हमेशा की तरह विभागीय कार्यवाही पर संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर यहॉ तक कि सिंचाई प्रमंडल, दरखा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। सारी प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त ही इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी एवं दण्ड संसूचित किया गया है।

6. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में इनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या– 549 दिनांक 13.05.2014 द्वारा संसूचित दण्ड को बरकरार रखा जाता है।

जहॉ तक श्री शैलेन्द्र कुमार के निलंबन अवधि के वेतन का प्रश्न है, मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है अतएव निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा परन्तु इसकी गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी, का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in